

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

अल्ट्राटेक सिमेंट कम्पनी बनाम रामगोपाल सिंह वगैरे
 जरिये संपत्ति आर जेन
 किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 92/सन् 2019

ख न	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>वकील वादी उपस्थित।</p> <p>वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा <u>53, 92 ए</u> RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या <u>...95...</u> के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक <u>...16/7/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">SDO</p> <p>11/15 वकील पत्र वादी द्वारा पत्रावली तलबी कर प्रार्थना पेश करते हैं पत्रावली आठ जेष्ठ हुई।</p> <p>वकील पत्र वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त कतवाब के मुकदमे के पत्रावली के बीच कतवाब के शर्तिकात हो गये हैं। इस कारण से वादी गड नहीं पत्रावली गये हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली आठ से तलब पत्र जारी विज्ञापन नगरिक करलावे। प्रार्थना पत्र मिस हो।</p> <p>अतः वकील पत्र वादी द्वारा उक्त गड जारी विज्ञापन नगरिक कर जेष्ठ करते हैं वादी गड जारी विज्ञापन शर्तिकात किताब लागू हैं। पत्रावली कौतल मुकदमे के नम्बर से आठ हैं। नगरिक करलावे पत्रावली पत्रावली जेष्ठ करलावे। प्रार्थना पत्र मिस हो।</p> <p style="text-align: right;">SDO</p>	<p>338 15-05-2019</p> <p style="text-align: right;">11/06/19</p>